

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग  
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

**आदेश**

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, किशनगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 05 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि  | आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/आधार सं० | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता/मोबाईल नं०                                                                        | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं आई.एफ.एस.सी    | स्वीकृत अनुदान की राशि         | मृत्यु/ निःशक्तता/ असाध्य रोग का प्रमाण, कार्य की प्रकृति |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                                       | 4                              | 5                                                                                     | 6                          | 7                       | 8                              | 9                                                         |
| 1        | स्व० पीठो बसाक, 64, स्व० विदेधिया बसाक, अनु० जाति | जोसो देवी, (पत्नी)                      | 437<br>09.04.2026              | ग्रा०-कौआबाड़ी, पो०-तैयबपुर, धाना+प्र०-पोठिया, जिला-किशनगंज, मो०-8235274690           | 0084103<br>35445           | IPPB<br>IPOS000<br>0001 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए ) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                            |
| 2        | स्व० लाल देवी, 59, विरजो बसाक, अनु० जाति          | विरजो बसाक, (पति)                       | 438<br>09.04.2026              | ग्रा०-कौआबाड़ी, पो०-तैयबपुर, धाना+प्र०-पोठिया, जिला-किशनगंज, मो०-9472837299           | 2154810<br>0035461         | BOB,<br>BARBOR<br>AIKHA | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए ) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                            |
| 3        | स्व० सपत मरांडी, 51, लुखी मरांडी, अनु० जाति       | रानी हासदा, (पत्नी)                     | 474<br>24.04.2026              | ग्रा०-कुम्हार भिट्टा, पो०+था०-कोढ़ोबाड़ी, प्र०-दिघलबैंक, जिला-किशनगंज, मो०-9749628799 | 3637364<br>9704            | SBI,<br>SBIN000<br>8559 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए ) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                            |
| 4        | स्व० सियाराम ऋषि, 58, अनूप ऋषि, अनु० जाति         | कलती देवी, (पत्नी)                      | 575<br>16.05.2026              | ग्रा०-शाहनगरा, पो०-अनगढ़ हाट, धाना+प्र०-कोचाधामन, जिला-किशनगंज, मो०-9031935397        | 2882001<br>7000440<br>31   | PNB<br>PUNB02<br>88200  | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए ) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                            |
| 5        | स्व० शत्रुघ्न हरिजन, 42, चन्दर हरिजन, अनु० जाति   | लकखी देवी, (पत्नी)                      | 576<br>16.05.2026              | ग्रा०-पतलवा, पो०-सुरजापुर, था०+प्र०-किशनगंज, जिला-किशनगंज, मो०-8972713621             | 3334810<br>0022305         | BOB,<br>BARBOKI<br>SBIH | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए ) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                            |

कुल राशि:-रू० 2,50,000/-

(दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(रोहित कुमार)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(राजेश भारती)  
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-73/2026-1149

पटना, दिनांक :- 27/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, किशनगंज/उप श्रमायुक्त, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/2026  
(राहित कुमार)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhauli  
(राजेश भारती)  
कार्यकारी निदेशक